

CABINET SECRETARIAT

Department of Personnel

New Delhi, the 3rd August, 1972

S.O. 2789.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Third Amendment Rules, 1972.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 (hereinafter referred to as the said rules), in "Part II, Central Civil Services, Class II (Except for Civilians in Defence Services)"—

- (i) after serial No. 3 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5
"3-A Central Secretariat Stenographers Service Selection Grade		President	President In respect of a member of the Service serving in:—	All
			(a) a Ministry or Department of the Government participating in the Service, other than a Ministry or Department hereinafter specified—	Secretary, Cadre Authority (i) to (iv)
			(b) a Ministry or Department of the Government not participating in the Service—	Secretary in the Ministry or Department (i) to (iv)
			(c) an attached office whether participating or not participating in the Service:—	
			(i) if such office is under the control of a Head of the Department directly under Government—	Head of the Department (i) to (iv)
			(ii) in other cases—	Secretary, Cadre Authority (i) to (iv)
			(d) a non-Secretariat Office other than an office hereinafter specified:—	
			(i) if such office is under the control of a Head of the Department directly under Government—	Head of the Department (i) to (iv)

1	2	3	4	5
			(ii) in other cases—	Secretary, Cadre Authority (i) to (iv)
			(c) Ministry of Finance (Defence Division)	Financial Adviser, Defence Division (i) to (iv)
			(f) Office of the Union Public Service Commission.	Secretary, Union Public Service Commission (i) to (iv).";

(ii) against serial No. 7, in columns 4 and 5, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

4	5
"Posts and Telegraphs Board Head of Circle";	"All (i) to (iv).";

(iii) against serial No. 8, in columns 4 and 5 for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

4	5
"Posts and Telegraphs Board Head of Circle.";	"All (i) to (iv).";

(iv) against serial No. 11, in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

3
"Posts and Telegraphs Board";

(v) against serial No. 23, in columns 4 and 5, below the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely:—

4	5
"Chief Engineer (Vigilance), Central Public Works Department.";	(i) to (iv).";

(vi) against serial No. 24, against item (v), in column 2, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

"(v) Posts in the Ganga Basin Water Resources Organisation.";

(vii) for serial No. 26 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
"26. Indian Salt Service	Joint Secretary, Department of Industrial Development.	Joint Secretary, Department of Industrial Development	Salt Commissioner	All (i) to (iv).";

3. In the Schedule to the said rules, in "Part III-Central Civil Services, Class III (Except for Civilians in Defence Services)"—

(i) against entry (c) of serial No. 1, in column 6, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

6
"Secretary to the Prime Minister.";

(ii) after serial No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"I-A Central Secretariat Stenographers Service Grade III.	Deputy Secretary or Director, Cadre Authority.	Deputy Secretary or Director, Cadre Authority.	Deputy Secretary or Director, Cadre Authority. In respect of a member of the Service serving in:—	All	Secretary, Cadre Authority.
			(a) a Department/Office other than those specified below and other than the Cadre Authority, where the Head of the Office is of a rank not below that of Deputy Secretary or Director (Junior Administrative Grade).	Head of the Office.	(i) to (iv) Secretary, Cadre Authority
			(b) Ministry of Finance (Defence Division).	Deputy Financial Adviser.	(i) to (iv) Financial Adviser (Defence Division).
			(c) Prime Minister's Secretariat.	Deputy Secretary or an officer of the rank of Deputy Secretary.	(i) to (iv) Secretary to the Prime Minister.
			(d) Directorate General of Posts and Telegraphs.	Secretary, Posts and Telegraphs Board.	(i) to (iv) Member (Administration), Posts and Telegraphs Board.
			(e) Office of the Inspector General, Delhi Special Police Establishment.	Deputy Inspector General.	(i) to (iv) Inspector General.
			(f) Office of Engineer-in-Chief, Central Public Works Department.	Director of Administration.	(i) to (iv) Engineer-in-Chief.
			(g) Directorate General of Supplies and Disposals.	Director (Administration).	(i) to (iv) Director General, Supplies and Disposal
			(h) Central Water and Power Commission.	Secretary, Central Water and Power Commission.	(i) to (iv) Chairman, Central Water and Power Commission."

4. In the Schedule to the said rules, in "Part IV—Central Civil Services, Class IV (Except for Civilians in Defence Services)" against serial No. 1, after item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"(iii) Posts in Union Territories."	Head of Office or such other authority as may be specified by the Administrator.	Head of Office or such other authority as may be specified by the Administrator.		All	Administrator or such authority as may be specified by the Administrator; where the order is that of Administrator, the President."

[No. 7/3/68-Batt(A)]

P. S. VENKATESWARAN, Under Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1972

का० भा० 2789.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) तृतीय संशोधन नियम, 1972 होगा :

(2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) की अनुसूची में, "भाग 2, केन्द्रीय सिविल सेवा, वर्ग 2 (रक्षा सेवा में के सिविलियनों के सिवाय)" में,—

(i) क्रम सं० 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
"2-क	केन्द्रीय सचिवालय आणु- लिपिक सेवा चयन श्रेणी	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	सभी
	सेवा के उस मदस्य के सम्बन्ध में, जो—	सचिव काडर प्राधिकारी	(i) से (iv)	
	(क) इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट किसी मंत्रालय या विभाग से भिन्न, सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो —			
	(ख) सेवा में भाग न लेने वाले किसी मंत्रालय या विभाग के सचिव	(i) से (iv)		
	मंत्रालय या विभाग में सेवा कर रहा हो —			
	(ग) किसी संलग्न कार्यालय में सेवा कर रहा हो, चाहे वह सेवा में भाग लेता हो या नहीं :—			
	(i) यदि ऐसा कार्यालय ऐसे विभागा- ध्यक्ष के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है :—	विभागाध्यक्ष	(i) से (iv)	
	(ii) अन्य मामलों में,	सचिव, काडर प्राधिकारी	(i) से (iv)	
	(घ) इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट किसी कार्यालय से भिन्न किसी अननुनि- वीय कार्यालय में सेवा कर रहा हो :—			
	(i) यदि ऐसा कार्यालय ऐसे विभागा- ध्यक्ष के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है —	विभागाध्यक्ष	(i) से (iv)	
	(ii) अन्य मामलों में —	सचिव, काडर प्राधिकारी	(i) से (iv)	
	(ङ०) वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रभाग)	वित्त सलाहकार रक्षा प्रभाग	(i) से (iv)	
	(च) संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय	सचिव, संघ लोक सेवा आयोग	(i) से (iv)	

(ii) क्रम सं० 7 के सामने, स्तंभ 4 और 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"डाक-तार बोर्ड सकल का प्रधान" ;

"सभी (i) से (iv)";

(iii) क्रम सं० 8 के सामने, स्तंभ 4 और 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"डाक-तार बोर्ड सकल का प्रधान" ;

"सभी (i) से (iv)";

(iv) क्रम सं० 11 के सामने, स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

3

“डाक- तार बोर्ड” ;

(v) क्रम सं० 23 के सामने, स्तंभ 4 और 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के नीचे, क्रमशः निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :-

4

5

“मुख्य इंजीनियर (सतर्कता) केन्द्रीय
लोक निर्माण विभाग।” ;

“(i) से (iv)” ;

(vi) क्रम सं० 24 के सामने, स्तंभ (V) के सामने, स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(V) गंगा रमित जल संचय संगठन के पद।” ;

(vii) क्रम सं० 26 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5
“26	भारतीय नमक सेवा	संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सभी
		नमक आयुक्त		(i) से (iv)।” ;

3- उक्त नियमों की अनुसूची में, “भाग 3-केन्द्रीय मित्रित सेवा, वर्ग 3 (रक्षा सेवाओं में के मित्रितयनों के मिवाय)” में, —

(i) क्रम सं० 1 की प्रविष्टि (ग) के सामने, स्तंभ 6 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

6

प्रधान का सचिव

(ii) क्रम सं० 1 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
“1-क	केन्द्रीय सचिवालय उप सचिव या आगुलिक सेवा निदेशक, काडर श्रेणी 3 प्राधिकारी	उपसचिव या निदेशक, काडर मदस्यक सम्बन्ध में जो, :-	कार्यालय का प्रधान	(i) से (iv)	सचिव, काडर, प्राधिकारी
		(क) नीचे विनिर्दिष्ट विभागों/ कार्यालयों में भिन्न और काडर प्राधिकारी से भिन्न किसी ऐसे विभाग/कार्यालय में सेवा कर रहा हो, जहां कार्यालय का प्रधान उस पंक्ति का हो जो उप-सचिव या निदेशक (कनिष्ठ प्रशास- निक श्रेणी) की पंक्ति से कम नहीं है।			सचिव, काडर, प्राधिकारी

1	2	3	4	5	6
	(ख) वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रभाग) :	उप वित्त-सलाहकार	(i) से (iv)	वित्त सलाहकार (रक्षा प्रभाग)	
	(ग) प्रधान मंत्री सचिवालय	उप-सचिव या उप-सचिव की पंक्ति का अधिकारी	(i) से (iv)	प्रधान मंत्री के सचिव	
	(घ) डाक-तार महा निदेशालय	सचिव, डाक-तार बोर्ड	(i) से (iv)	सदस्य (प्रशासन), डाक-तार बोर्ड	
	(ङ) महा निरीक्षक का कार्यालय दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन	उप महानिरीक्षक	(i) से (iv)	महा निरीक्षक	
	(च) प्रमुख इंजीनियर का कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	प्रशासन निदेशक	(i) से (iv)	प्रमुख इंजीनियर	
	(छ) पूर्ति और व्ययन महा निदेशालय	निदेशक (प्रशासन)	(i) से (iv)	पूर्ति और व्ययन महा निदेशक	
	(ज) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग	सचिव, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग	(i) से (iv)	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग	

4. उक्त नियमों की अनुसूची "भाग 4-केन्द्रीय सिविल सेवा, वर्ग 4 (रक्षा सेवाओं के सिविलियनों के सिवाय में, क्रम सं० 1 के सामने, मद (ii) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(iii) संघ राज्यक्षेत्रों के पद कार्यालय का प्रधान या ऐसा कार्यलय का प्रधान या ऐसा मंत्री अन्य अधिकारी जो प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अन्य प्राधिकारी जो प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। प्रशासक या ऐसा प्राधिकारी जो प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जहां प्रदेश प्रशासक का हो वहां राष्ट्रपति"।

[सं० 7/3/68-स्था० (ए)]

पी० एम० बेंकटेश्वरन, अव्वर सचिव।